संख्या- 323 /2025/ 3166 /चार-2025-1868063

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 04 नवम्बर, 2025

विषय- प्रदेश की चयनित ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में वाद्ययंत्र सेट क्रय किये जाने पर हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3127/सं0नि0-6(12)/2024-25, दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि, 'शासनादेश संख्या-385/2024/3430/चार-2024-1868063 दिनांक 27.11.2024 द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में वाद्ययंत्र सेट का क्रय किये जाने हेतु रू0 2,95,11,100/- (रूपये दो करोड़ पिच्चान्वे लाख ग्यारह हजार एक सौ मात्र) की प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, किन्तु प्रकरण में जॉच प्रचलित होने के कारण गत वित्तीय वर्ष में भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी थी। शासन के पत्र संख्या- 3136/चार-2025 दिनांक 29.10.2025 में दिये गये मार्गदर्शनानुसार प्रकरण में प्रचलित जांच निक्षेपित होने के उपरान्त गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रय किये गये 825 वाद्ययंत्र सेट के भुगतान हेतु रू0 2,95,11,100/- (रूपये दो करोड़ पिच्चान्वे लाख ग्यारह हजार एक सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जा रहा है।'

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में वाद्ययंत्र सेट का क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक **शासनादेश संख्या- 385/2024/3430/चार-2024-1868063 दिनांक 27.11.2024 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।** वित्तीय वर्ष 2024-25 में 825 वाद्ययंत्र सेट के क्रय पर हुए वास्तविक व्यय से संबंधित बीजक संख्या-बी.जी./ 2024-25/0062 दिनांक 29.03.2025 रू0 2,70,73,002/- (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख तिहत्तर हजार दो मात्र) के आधार पर धनराशि **रू0 2,70,73,002/- (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख तिहत्तर हजार दो मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-800 अन्य व्यय-15-लोक कलाकारों को वाद्ययंत्र हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 323 /2025/ 3166 (1) /चार-2025-1868063 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।